

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2016

R-1380-II/16

कसिया तनय पन्डू कोदर (फोट)

वारिसान ——— 1

- 1- श्रीमती जनकी पत्नी स्व० श्री कसिया कोदर
- 2- पम्मू पुत्र स्व० श्री कसिया
- 3- कटारे पुत्र स्व० श्री कसिया समस्त
निवासीगण— पिपौरा खुर्द तहसील व जिला
छत्तरपुर (म.प्र.)

—आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन—अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं अधिनियम की धारा 165
(7)-ख एवं धारा 32 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित विनय प्रस्तुत है :-


- 1- यहकि, आवेदकगण ग्राम पिपौरा तहसील ईशानगर, तहसील व जिला छत्तरपुर (म.प्र.) के निवासी है। आवेदक क्रमांक-1, 2, 3, के पिता कसिया तनय पन्डू कोदर की मृत्यु हो चुकी है। और एक मात्र वारिस आवेदक क्रमांक-1, 2, 3 है।
- 2- यहकि, आवेदक क्रं.-3 हृदय की गम्भीर बिमारी से ग्रस्त है जिसे डॉक्टरों द्वारा वाल्व बदलवाने क सलाह दी गई है जिसमें 4,00,000/-रुपये लाकर अस्पताल में जमा कराने के निर्देश दिये गये है। तभी आवेदक क्रं.-3 का ऑपरेशन एवं वाल्व बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। उक्तरोक्त स्थिति को देखते हुयें आवेदक क्रं.-1, 2, 3 ने अपने पिता स्व० श्री कसिया के नाम की भूमि खसरा नम्बर 1191/1 रकवा 2.024 हेक्टर भूमि स्थित ग्राम रमपुरा के विक्रय करके रूपयो का प्रबंध करने का प्रयास किया तो क्रेतागण द्वारा खसरे में शासन से प्राप्त भूमि दर्ज होने के कारण लेने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1380-दो/2016

जिला --~~टीकमगढ़~~ **दण्ड**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-6-16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है । उक्त प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है । प्रकरण न चलाने के कारण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> सदस्य</p>